# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

## रसद प्रार्थना पत्र संख्या 55/2014

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री रामकुमार चतुर्वेदी निवासी हनुमान नगर, बिहारीगंज, अजमेर
2. मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी नाका मदार, अजमेर।

.....*अप्रार्थी*

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम**

**उपस्थित ;.** 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री पी.एस. सोनी — अभिभाषक अप्रार्थी सं02

***आदेश***

दिनांक 01.03.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2014 को पुलिस थाना अलवर गेट–अजमेर से एल.पी.जी. कालाबाजारी की सूचना पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर के निर्देशानुसार मौका स्थल सर्वेश्वर महादेव मन्दिर के पास, श्रीनगर रोड अजमेर पर पहुंच कर जांच करने पर अप्रार्थी श्री अशोक चतुर्वेदी को सफेद रंग के एक वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर में इण्डेन कम्पनी के गैस से भरे हुए 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर बिना खरीद, प्राप्ति के बिल, वाउचर, उपभोक्ता डायरी के ले जाते पाया गया। सिलेण्डरों का वजन कराने पर सभी गैस सिलेण्डरों में कुल 265 किलों 800 ग्राम गैस भरी होना पाया गया। पूछताछ में अप्रार्थी अशोक चतुर्वेदी ने उक्त सिलेण्डर हरेन्द्र मेमोरियल गैस सर्विस आई.ओ.सी. नाका–मदार अजमेर के कैम्प स्थल से ब्लेक में 600/– रूपये में खरीद कर 800/– रूपयें में विक्रय करने का व्यवसाय किया जाना बताया। बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से एल.पी.जी. खरीद बिकी पाया जाने पर श्री अशोक चतुर्वेदी से 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर मय 265 किलों 800 ग्राम एल.पी.जी. के कब्जे राज लिये जाकर श्री त्रिलोक सिंह पुत्र गोपाल सिंह कार्मिक उदय गैस सर्विस अजमेर को सुर्पुद किये गये। वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को भी वजह सबूत कब्जे राज लिया जाकर पुलिस थाना अलवर गेट,अजमेर की सुरक्षित कस्टडी में दिया गया। अप्रार्थी श्री अशोक चतुर्वेदी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ख) (घ), 4 (2) 6 एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के क्लाज 3 (1) का तथा हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी अजमेर, का कृत्य एल.पी.जी. आर्डर 2000 के क्लाज 3 (क) (ख) (घ), 7 (1) (ख) एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। दोनो अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर में एफ.आई.आर संख्या–268 भी दिनांक 01.10.14 को दर्ज कराई गई है। अतः उपरोक्त जब्त शुदा इण्डेन कम्पनी के 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर मय 265 किलो 800 ग्राम एल.पी.जी. एवं वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उनके अभिभाषक धर्मेन्द्र चौहान एवं 02 की ओर से वकील पी.एस. सोनी उपस्थित आये। रेस्पों0 सं0 01 की ओर से वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को सुपुदगीनामा पर छुडवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वास्ते जवाब अप्रार्थी को पर्याप्त समय दिये जाने पर भी अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र कथनों के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई चाहे जाने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 25.09.2014 को पुलिस थाना अलवर गेट–अजमेर से एल.पी.जी. कालाबाजारी की सूचना पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा मौका स्थल सर्वेश्वर महादेव मन्दिर के पास, श्रीनगर रोड अजमेर पर पहुंच कर जांच करने पर अप्रार्थी श्री अशोक चतुर्वेदी को सफेद रंग के वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर में इण्डेन कम्पनी के गैस से भरे हुए 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर बिना खरीद, प्राप्ति के बिल, वाउचर, उपभोक्ता डायरी ले जाते पाये गये। सिलेण्डरों का वजन कराने पर सभी गैस सिलेण्डरों में कुल 265 किलों 800 ग्राम गैस भरी होना पाया गया। पूछताछ में अप्रार्थी अशोक चतुर्वेदी ने उक्त सिलेण्डर हरेन्द्र मेमोरियल गैस सर्विस आई.ओ.सी. नाका–मदार अजमेर के कैम्प स्थल से ब्लेक में 800/– रुपये में खरीदना एवं 800/– रूपयें में विक्रय करने का व्यवसाय किया जाना बताया। बिना वैध अनुज्ञा पत्र के एल.पी.जी. खरीद–बिक्री किया जाना पाया जाने पर अप्रार्थी अशोक चतुर्वेदी से 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर मय 265 किलों 800 ग्राम एल.पी.जी. के कब्जे राज लिया जाकर श्री त्रिलोक सिंह पुत्र गोपाल सिंह कार्मिक उदय गैस सर्विस अजमेर को सुर्पुद किया गया। वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को भी वजह सबूत कब्जे राज लिया जाकर पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर की सुरक्षित कस्टडी में दिया गया। अप्रार्थी श्री अशोक चतुर्वेदी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ख) (घ), 4 (2) 6 एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के क्लाज 3 (1) का तथा हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी अजमेर, का कृत्य एल.पी.जी. आर्डर 2000 के क्लाज 3 (क) (ख) (घ), 7 (1) (ख) एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। दोनो अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर में एफ.आई.आर संख्या–268 भी दिनांक 01.10.14 को दर्ज कराई गई है। अतः उपरोक्त जब्त शुदा इण्डेन कम्पनी के 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर मय 265 किलो 800 ग्राम एल.पी.जी. एवं वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक श्री पी.एस. सोनी ने पुलिस थाना अलवर गेट द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच/अनुसंधान में अप्रार्थी सं0 02 के विरूद्ध कोई अपराध बनना नहीं पाया गया। अप्रार्थी सं0 01 के विरूद्ध धारा 3/7

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

E C एक्ट के तहत चार्ज शीट पेश की गई है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। मान0 न्यायालय द्वारा जब्त शुदा वाहन एवं सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा जब्त वाहन RJ-01-TA-1022 को सुपुर्दगीनामे पर छोडने बाबत के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जब्त वाहन का मालिक स्वयं को बताया है। इस हेतु प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01 )न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की पालना करने एवं आदेशानुसार जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है। जब्त वाहन को ही एक मात्र रोजगार का साधन बताते हुए वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामें पर लौटाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के कथनों एवं प्रार्थना पत्र तथ्यों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच मौके पर अप्रार्थी की मालिकाना हक के वाहन सं0 RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर में इण्डेन कम्पनी के गैस से भरे हुए 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर रखे हुए पाये गये जो घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैद्य रूप से लाने ले जाने के उपयोग को एवं बिना वैध अनुज्ञा पत्र के एल.पी.जी. की खरीद–बिक्री को साबित करता है। फर्द मौका एवं जब्ती दिनांक 25.9.2014 में भी प्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर 600 रूपये प्रति सिलेण्डर खरीद कर पुनः 800/– रूपये प्रति सिलेण्डर विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री अशोक चतुर्वेदी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ख) (घ), 4 (2) 6 एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के क्लाज 3 (1) का तथा हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी अजमेर, का कृत्य एल.पी.जी. आर्डर 2000 के क्लाज 3 (क) (ख) (घ), 7 (1) (ख) एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार जब्त इण्डेन कम्पनी के गैस से भरे हुए 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजसात किया जाता है। वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर को अवैध रूप से एल.पी.जी. कारोबार के परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार शास्ति आरोपित की जाती है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन RJ-01-TA-1022 टाटा विंगर की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित को सुपुर्द करें। प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल )
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner